विष्णु प्रकाश शर्मा बनाम श्रीमती गीता देवी वगैरह, अपील संख्या 2018/00062/225, आदेश दिनांक 27.06.2018

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु पेश हुयी। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 उपस्थित हुए। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 4 उपस्थित नही हुए। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 04 को कई बार आवाजें दिलाई गई, किन्तु उपस्थित नहीं हुए। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 ने बताया कि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 4 कई पेशीयों से उपस्थित नही हो रहे है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्देशानुसार प्रार्थना पत्र स्थगन का निस्तारण 30 दिवस में करना हैं, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 4 ने ही न्यायालय हाजा के आदेश के विरूद्ध मान्नीय मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की थी इसलिए उक्त आदेश की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 4 को हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जावें। अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 की प्रार्थना पत्र स्थगन पर बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 /वादीगण के पक्ष में अवैधनिक रूप से बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये नियत पेशी दिनांक 21.03. 2018 से पूर्व पत्रावली को दिनांक 09.03.2018 को तलब कर एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की हैं जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार बिना व्यथित पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध पारित किया जाना न्यायोचित नही हैं। प्रस्तुत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं इसलिए न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.03.2018 को निरस्त करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्याालय का वास्ते सुनवाई हेतु प्रतिप्रषित किया जावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि चूँकि प्रकरण का अंतिम निस्तरण तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को ही करना हैं इसलिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रेतिप्रेषित किया जावें।

अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 की बहस पर मनन किया गया एवम् अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तोवजात तथा मान्नीय राजस्व मण्डल के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह अपील अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 09.3.2018 विरूद्ध पेश की हैं।

जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.03.2018 को आगामी पेशी दिनांक 09.04.2018 तक स्थगन जारी किया गया, जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 04 ने मान्नीय राजस्व मण्डल राज.,अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की हैं। मान्नीय मण्डल ने उक्त निगरानी को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण न्यायालय हाजा को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया कि विचाराधीन स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान को सुनवाई अवसर प्रदान करते हुए अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अंतिम रूप से निस्तारण करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। मान्नीय मण्डल के उक्त आदेश से पत्रावली में आज सुनवाई की गई। न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण में अंतिम निस्तारण करने हेतु शेष रेस्पोडेन्टस की तलबी को पूर्ण करना होगा जिसमें काफी समय व्यय होगा। मान्नीय मण्डल ने भी अपने आदेश दिनांक 24.04.2018 के पृष्ठ संख्या 03 पर माना की दोनो ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए हम अपील का निस्तारण इसी स्तर कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर उभयपक्षकारान की सुनवाई कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण इस आदेश की प्राप्ति से दो माह में करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।